प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 24.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.06.2016 को उ0नि0 श्री सुशील कुमार द्ववेदी थाना बसरेहर इटावा ने अभियुक्तगण द्वारा कार्य सरकार में बाधा डालते हुये वादी को जान से मारने की नियत से फायर करने, गाली- गलौज करने व हसियानुमा चापड से मारकर वादी को घायलकरने के बारे में सूचना दी गयी। जिसके संबंध में थाना बसरेहर पर **मु0अ0सं0 192/2016 धारा 332/353/504/307 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक श्री होरीलाल द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 सन्दीप कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 24.12.2024 को मा0 न्यायालय FTC-02 इटावा द्वारा 02 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 2000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **रामवकील पुत्र नेत्रपाल यादव नि0 बसरेहर थाना बसरेहर इटावा**